राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	11/2012 गुलाब देवी बनाम राधा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित । उन्हें निरन्तर आवाजे लगवाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे । अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी यी । पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 05/06/2026 को पेश हो ।	
05/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस करते हुये मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 252/2002 के साथ ही एक अन्य वाद संख्या 295/2008 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादों को एक साथ निस्तारित नही कर केवल मात्र वाद संख्या 252/2002 में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के वास्तविक तथ्यों का परिक्षण हो सका है एवं अन्य वाद संख्या 295/2008 में स्वतंत्र एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना सम्भव नही रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था कि वे दोनों वादों को ईकजाई रूप से परिक्षण कर निस्तारित करते । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दोनों वादों को ईकजाई सुनवाई कर उन्हें ए साथ निस्तारित किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जावे । अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि समान आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत दो वादों को निष्पक्ष एवं न्यायिक निर्णय किये जाने हेतु ईकजाई बहस समायत कर तथ्यों का परिक्षण करते हुये निस्तारित किया जाना उचित समझा जाता है । ऐसी स्थिति में विचाराधीन वाद संख्या 252/2002(257/925/2008) में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दोनों वाद संख्या क्रमश: 252/2002(257/925/2008) एवं 295/2008 को ईकजाई रूप से निस्तारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है । अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2011 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गुलाब देवी बनाम राधा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2012	कि वे दोनों वाद क्रमशः 252/2002(257/925/2008) एवं 295/2008 को बाद सुनवाई पक्षकारान एक साथ निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	